लय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

(49)

सं0 07/19
दिनांक 22.01.2019
दिनांक 26.12.2019

1. हरनरेन्द्र सिंह आयु 61 वर्ष पुत्र श्री मिल्कासिंह कौम सिक्ख निवासी खेडली लालगंज तहसील किशनगंज जिला बारां
2. अनमोल सिंह आयु 25 वर्ष पुत्र अरविन्द सिंह जाति सिक्ख निवासी खेडलीलालगंज
3. जगमोलसिंह आयु 23 वर्ष पुत्र अरविन्द सिंह जाति सिक्ख निवासी खेडलीलालगंज
4. तलविन्दर कौर आयु 50 वर्ष पत्नि अरविन्द सिंह जाति सिक्ख निवासी खेडलीलालगंज तहसील किशनगंज जिला बारां

प्रार्थीगण

—:बनाम:—

1. रामा उर्फ रामलाल पुत्र हीरालाल जाति गूर्जर खेडली लालगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राजस्थान)
2. राज0सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज.)
3. उपपंजीयन अधिकारी किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :—26.12.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश मेहता ने पेश किया प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी ने कथन किया

1. यह कि ग्राम लालगंज पटवार क्षैत्र बरूनी तहसील किशनगंज की आराजी जमाबन्दी सम्मत 2073—76 खाता संख्या नया 124 पुराना 121 की आराजी खसरा नम्बर 201 आम वाला रकबा 6.03 बीघा, खसरा नं0 202 रकबा (आम वाला) रकबा 3.06 बीघा लगानी 2.31 रूपये, कुल 2 किता कुल रकबा 9.09 बीघा तथा ग्राम खेडली पटवार हल्का बरूनी की आराजी जमाबन्दी सम्मत 2073—76 खाता संख्या 29 नया पुराना 26 की आराजी खसरा नं0 90 रकबा 1.02 बीघा खेडा—2,खसरा नं0 95 रकबा 0.12 बीघा खेडा—2,खसरा नं0 96 रकबा 0.09 बीघा खेडा—2 कुल किता 3 कुल रकबा 2.03 बीघा जो आगे विवादित आराजियात् है।
2. यह कि ग्राम खैडली लालगंज की आराजियात् अप्रार्थी क्रम 1 रामा उर्फ रामलाल के खातेदारी मे पूर्व खसरा नं0 55/9 आम वाली रकबा 6.14 बीघा किस्म उतार अव्वल खसरा नं0 622/86 टुकडी रकबा 13 बिस्वा उत्तर दोयम खसरा नं0 55/10 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा उतार दोयम कुल 11 बीघा 3 बिस्वा व मकान पश्चिम की ओर दरवाजे वाला जिसके पूर्व मे बाडा रामलाल का पश्चिम मे रामलाल का मवेशी का बाडा दक्षिण मे रामलाल का बाडा और उत्तर मे मकान मिल्कासिंह ओर बाडा नं0 180/36 बाडा चबूतरा वाला रकबा 17 बिस्वा बीडा 38 नम्बर दो बीघा 6 बिस्वा खेडा 195/43 खतरीवाला खेडा कुल 2 बीघा 10 बिस्वा कुल 3 किता का बेचान दिनांक 10.08.1959 को 1000 रूपये अक्षरे एक हजार रूपये अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी क्रम 1 के पिता व प्रार्थी क्रम 1 के पिता व प्रार्थी क्रम 2 व 3 के दादाजी व प्रार्थी क्रम 4 के ससुर मिल्कासिंह पुत्र मस्सासिंह कौम सिक्ख निवासी खेडली लालगंज को बेचान किया गया जिसका विक्रय पत्र रूबरू गवाहान प्रतिनिधी न्यायालय एड0डी0ओ0 बांरा मे लिखा गया व विक्रय पत्र के पंजीयन हेतु एस0डी0ओ0 बारां को प्रार्थना पत्र के साथ पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमे उल्लेख किया गया कि तहसीलदार तबादला पर चले गये है। रजिस्ट्रार वहॉ नही है। इस आधार पर एस0डी0ओ0 बारां के समक्ष विक्रय पत्र का पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर एस0डी0ओ0बारां द्वारा दिनांक 1410.1959 को पंजीयन क्रमांक 100211 पर

575

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 14:17:13 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

इन्द्राज तस्दीक कर तस्दीक किया गया किन्तु उक्त पंजीयन का अमल नही होने के कारण उक्त आराजी आज भी अप्रार्थी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे चली आ रही है जबकि दिनांक 10.08.1959 से ही लगातार प्रार्थीगण एवं उसके पूर्व भिल्कासिंह पुत्र मस्सासिंह का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है केवल राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पंजीयन का अमल नही हुआ है। भिल्कासिंह जी का देहान्त सन् 1988 मे हो चुका है उसके पश्चात भिल्कासिंह के पुत्र अरविन्दसिंह का देहान्त 2011 मे हो चुका है जिसके वारिस प्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 है इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता,दादा व ससुर द्वारा क्रय की गई आराजियात पर पंजीयन का अमल नही होने के कारण अप्रार्थी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे चला आ रहा है उसे हटवाया जाकर प्रार्थीगण अपना नाम अंकन कराने एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी है।

3. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन होने के कारण प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा आराजी के भूसुधार करने व सरकारी सहायता प्राप्त करने व बैंक आदि से ऋण प्राप्त करने मे काफी असुविधा होती है इस आधार पर प्रार्थीगण द्वारा अपने विक्रयपत्र के आधार पर आराजियात प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजियात् मे अप्रार्थी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे एवं प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वह प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे वादीगण/ प्रार्थीगण को शांतीपूर्वक काश्त करने दे रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथि को अप्रार्थी क्रम 2,3 स्वयं उपस्थिति क्रम 1 के सम्मन अदम तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण अधिवक्ता रामकिशन नागर एव अधिवक्ता सतीश शर्मा अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया नकल प्रार्थना पत्र प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र बहस सूनी गई। अप्रार्थी बहस सुनाया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। अप्रार्थी रमेशचन्द वगैराह का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 का जवाब पेश किया, जवाब मे कथन किया ।

अप्रार्थीगण क्रम 4 ता 15 की और से निम्न जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र पेश है

1. यह कि चरण क्रम 1 प्रार्थना पत्र आराजी अवस्थित होना स्वीकार है लेकिन ख0सं0 201 एवं ख0न0 202 को आम वाला शब्द से सम्बोधन अस्वीकार है
2. यह कि चरण क्रम 2 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है अपितु कथन है कि प्रार्थीगण मिथ्या दस्तवोज को आधार बना कर मृतक रामा की सम्पत्ति को हडपना चाहते है। यदि रामा द्वारा कथित विक्रय पत्र का दस्तावेज निष्पादित किया गया होता तो तस्दीक पश्चात दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं राजकीय मोहर अंकित होती एवं रजिस्ट्रेशन फीस व कापींग(नकल फीस) की राशी जमा की जाती व रसीद दी जाती जबकि दस्तावेज मे पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर व राजकीय मोहर अंकित नही है। मात्र प्रार्थीगण द्वारा अपने डीड राइटर से दस्तावेज का लेखन करवाया गया जिसका रजिस्ट्रैशन नही होने से दस्तावेज शून्य एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व बेअसर 2(अ) यह कि चरण क्रम 2 (अ) प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जाना एवं न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार है।
3. यह कि चरण क्रम 3 प्रार्थना पत्र काल्पनिक एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है।
4. यह कि चरण क्रम 4 प्रार्थना पत्र कानूनी है।

प्रार्थना प्रार्थीगण अस्वीकार है।

(50)

576

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 14:17:13 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

विशेष कथन एवं काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र

(51)

यह कि अप्रार्थीगण के पूर्वजों की आराजी ख0सं0 201 रकबा 6.03 वी0 ख0स0 202 रकबा 3.06 बीघा की कुल 9.09 बीघा वाके ग्राम लालगंज पटवार हल्का वरूनी तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान एवं ख0सं0 90 रकबा 1.02 बीघा, ख0सं0 95 रकबा 0.12 बीघा, ख0सं0 96 रकबा 0.09 बीघा कुल 2.03 बीघा ग्राम खेडली पटवार हल्का वरूनी तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान मे अवस्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड मे रामा पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर के नाम दर्जराज है।

2. यह कि खातेदार रामा एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

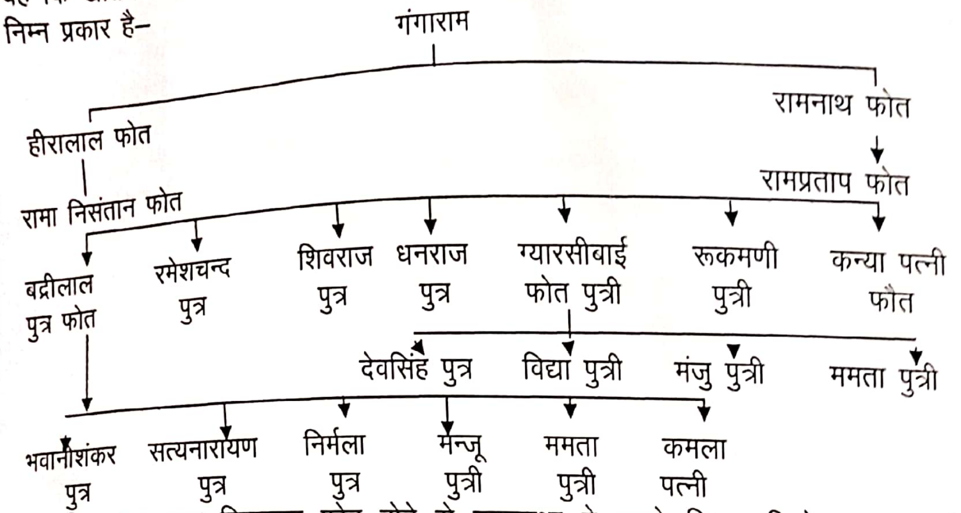

3. यह कि मृतक रामा निसन्तान फोत होने से वृद्वावस्था मे अपने निकट रिश्तेदार का भाई रामप्रताप पुत्र रामनाथ गुर्जर के यहॉ ग्राम नारेडा तहसील बारां मे चला आया मृतक रामा की जायदाद ग्राम नारेडा मे भी अवस्थित थी इसलिये मृतक रामा ने अपने जीवन काल मे रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 11.03.1983 को आलेखित एवं पंजीयन करवायी जिसमे अपनी नारेडा एवं अन्य गांव मे स्थित सम्पत्ति को मृत्यु उपरान्त रामप्रताप पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी नारेडा तहसील व जिला बारां को मालिक स्वामी घोषित किया। ग्राम नारेडा की कृषि भूमि पर रामप्रताप के नाम नामान्तरण तस्दीक किया गया एवं रामप्रताप की मृत्यु पश्चात अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिये गये। लिहाजा अप्रार्थीगण मृतक रामा के विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त आराजी पर बहेसियत विधिक वारिस अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने एवं राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम अंकन करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है।

4. यह कि प्रार्थीगण मिथ्या दस्तावेज को आधार बना कर मृतक रामा की सम्पत्ति को हडपना चाहते है। यदि रामा द्वारा कथित विक्रय पत्र का दस्तावेज निष्पादित किया गया होता तो तस्दीक पश्चात दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं राजकीय मोहर अंकित होती एवं रजिस्ट्रेशन फीस, व कापींग(नकल फीस) फीस की राशी जमा की जाती व रसीद दी जाती जबकि दस्तावेज मे पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर व राजकीय मोहर अंकित नही है। मात्र प्रार्थीगण द्वारा अपने डीड राइटर से दस्तावेज का लेखन करवाया गया जिसका रजिस्ट्रेशन नही होने से दस्तावेज शून्य एंव अप्रार्थीगण के विरूद्व बेअसर है।

5. यह कि कथित दस्तावेज जो प्रार्थीगण के कब्जे मे है की जानकारी प्रार्थी क्रम 1 के पिता मिल्खा सिंह को उनके जीवनकाल मे भी थी एवं मिल्खा सिंह द्वारा अपने जीवन काल मे वादग्रस्त आराजी बाबत् को कार्यवाही नही की गयी तथा प्रार्थीगण द्वारा भी कथित दस्तावेज की जानकारी होने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नही की गयी वादपत्र/ प्रार्थना पत्र करीब 60 वर्ष पश्चात पेश किया गया है। जो बेरून मियाद होने से काबिल खारिज है।

6. यह कि वादग्रस्त आराजी मृतक रामा के खाते की आराजी है जिसके एक मात्र विधिक वारिस अप्रार्थीगण है। प्रार्थीगण लडाकू एवं ताकतवर व्यक्ति है जो अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी मे काश्त करने मे बाधा उत्पन्न करते है। एवं आये दिन लडाई–झगडा करते है। अप्रार्थीगण दौराने वाद वादग्रस्त आराजी को काश्त करने मे असमर्थ है एवं यदि वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर कायम नही किया गया तो अप्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी।

7. यह कि अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टिया सिद्व है एवं सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष मे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 14:17:13 IST
Reason: SelfAttested

577

Scanned with CamScanner

(52)

: जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे एवं ...म प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी पर ताफेसला वाद तहसीलदार ...ाहब किशनगंज को रिसीवर नियुक्त किया जावे। एवं प्रार्थीगण से 5000/–रूपये प्रति बीघा ...ी दर से राशि राजकोष मे जमा करायी जावे। अप्रार्थीगण क्रम 4 ता 5 की ओर से प्रस्तुत प्रतिप्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकाश पेश है:–

यह कि प्रतिप्रार्थना पत्र की मद नं0 1 आराजियात् होना स्वीकार है किन्तु शेष कथन अस्वीकार है।

यह कि प्रतिप्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 गलत व अस्वीकार है अप्रार्थीगण क्रम 4 ता 15 की ओर से दिया गया सजरा गलत व अस्वीकार है रामा को कोई संतान नही थी रामा निःसन्तान फोत हुआ है।

3. यह कि प्रति प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 जिस प्रकार से लिखी गई है गलत व अस्वीकार है तथा कथित वसीयतनामा दिनांक 11.03.1987 का आलेखित बताया गया है जिस पर 2019 तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही करना ही अपने आप मे वसीयतनामे को सन्देहप्रद व बनावटी तथा काल्पनिक दर्शाता है।

4. यह कि प्रतिप्रार्थना पत्र की मद नं0 4 जिस प्रकार से लिखी गई है गलत व अस्वीकार है रामा उर्फ रामलाल द्वारा प्रार्थीगण के दादा व पिता मिल्खासिंह पुत्र मस्सा सिंह को अपने खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजियात् को बेचान कर विक्रय पत्र का विधिवत पंजीयन कराया गया है जिस पर आपत्ति करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है जिस वक्त पंजीयन किया गया उस समय नकल फीस या मोहर का कोई आवश्यकता नही था इस प्रकार जो आपत्ति ली गई है वह निरर्थक है।

5. यह कि प्रतिप्रार्थना पत्र की मद नं0 5 जिस प्रकार से लिखी गई है गलत व अस्वीकार है खातेदारी की घोषणा के वाद/ प्रार्थना पत्र के लिये कोई मियाद नही है तथा उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसकी पालना कभी भी करवाई जा सकती है।

6. यह कि प्रतिप्रार्थना पत्र की मद नं0 6 गलत व अस्वीकार है प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लडाई झगडा नही किया गया न कभी उक्त आराजियात् पर अप्रार्थीगण का कोई वास्ता रहा ओर न कभी उनके द्वारा आराजियात को देखा गया है। जबकि उक्त आराजी रामा उर्फ रामलाल द्वारा प्रार्थीगण के पिता व दादा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया गया है इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा लडाई–झगडे वाली बात गलत दर्ज कराई गई है व गलत आधार पर रिसीवरी कायम करने की प्रार्थना की गई है जबकि पूर्व मे मिल्का सिंह पुत्र मस्सासिंह का 10.08.1959 से ही निरन्तर कब्जा काश्त राह उसके देहान्त के बाद प्रार्थीगण का निरन्तर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसे प्रार्थीगण रिसवरी की आड मे हटवाना चाहते है जबकि विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के अनुसार इस प्रकार के मामलो मे किसी प्रकार का रिसीवर कायम नही किया जा सकता है।

7. यह चरण क्रम 7 गलत व अस्वीकार है अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टिया प्रमाणित नही है न सुविधा का संन्तुलन उनके पक्ष मे है मनगढन्त तथ्य अंकित किये गये है।

जवाब प्रतिप्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण गलत व अस्वीकार है। अतः जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी0 का प्रतिप्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 पर उभय पक्षों की बहस सूनी गई दौराने बहस प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 मे अंकित बिन्दूओं को दोहराया एवं निवेदन किया रामा द्वारा आराजी मिल्खासिंह को बेचान कर दी गई है। रजिस्ट्री पेश की है। 14.10.53 रामा फोत हो गया। 1–10 मे बाद मे प्रति0 पक्षकार बने। रामा ने वसीयत की इनके पूर्वज के पक्ष मे दौराने वाद रिकॉर्ड मौके की स्थिति बनाये रखी जावे। मिल्खा सिंह की मृत्यु हो चुकी है। रजिस्ट्री को सक्षम न्यायालय मे चुनोती दिये बिना निरस्त नही कर सकते। यह भूमि केवल नाम के आधार पर बेच ली गई तो विवाद बढेगा टी0आई0देवे। 212 के प्रा0पत्र मे काउन्टर नही दिया जा सकता। 212(2) की रिलीफ हेतु पृथक प्रा0पत्र देना होगा। आर0आर0टी0 2010–11 सप्लीमेन्ट्रि पार्ट तर्क विधि वर्जित है। RLW 2016VOL II REU-PAST PAGE 820 RHC 38 YEAR आपका कोई दावा नही किया.आप खातेदार नही है,खातेदार रामा है। खातेदार बनने के लिये सेपरेट प्रोसिडिंग लाये। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब को दोहराया एवं निवेदन किया गलत तथ्य पेश कर रहे है। रामा ने रजि0 बेचान नही किया दस्तावेज लिखा गया किन्तु पंजीयन नही हुआ पुस्तक संख्या 1 व 2 मे रजिस्टर नही हुआ है। रसीद,रजिस्टर शुल्क धारा 54 की रसीद कुछ नही हुआ । पंजीयन का निर्देश हुआ है पंजीयन नही हुआ। अभी रामा के खाते दर्ज है। रजि0 वसीयत मेने पेश की है। रामा की आराजी पर आपका कब्जा है। दावे के आदेश तक मुझे मुआवजा 5 हजार रूपये प्रति बीघा की दर से तय कर दिया जाये।।

578

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 14:17:13 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया। अद्योपान्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्रानुसार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है अप्रार्थी इस कदर निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि

(53)

–:क्रियात्मक आदेश:–

वाकेग्राम लालगंज पटवार हल्का क्षैत्र बरूनी तहसील किशनगंज जिला बारां की आराजी खसरा नम्बर 201 आम वाला रकबा 6.03 बीघा, खसरा नं0 202 रकबा (आम वाला) रकबा 3.06 बीघा कुल 2 किता कुल रकबा 9.09 बीघा तथा ग्राम खेडली पटवार हल्का बरूनी की आराजी खसरा नं0 90 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नं0 95 रकबा 0.12 बीघा ,खसरा नं0 96 रकबा 0.09 बीघा कुल रकबा 2.03 बीघा, वाकेग्राम खेडलीलालगंज की आराजी ख0न0 55/ 9 आमवाली रकबा 6.14 बीघा ख0न0 622/ 86 रकबा 13 बिस्वा ख0न0 55/10 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल 11 बीघा 3 बिस्वा मकान पश्चिम की ओर दरवाजे वाल जिसके पूर्व मे आज रामलाल का पश्चिम मे रामलाल का मवेशी का बाडा दक्षिण मे रामलाल का बाडा ओर उत्तर मे मकान मिल्खासिंह ओर खाता नं0 180/ 36 बाडा चबूतरा वाला रकबा 17 बिस्वा बाडा 38 नम्बर दो बीघा 6 बिस्वा खेडा 155/43 खतरीवाला खेडा कुल 2 बीघा 10 बिस्वा कुल 3 किता मे प्रार्थीगण के स्वामीत्व एवं कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न न करे न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे प्रार्थीगण को शान्तीपूर्वक काश्त करने दे रिकॉर्ड एवं मोके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 14:17:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner